मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 21 जुलाई, 2010 (आषाढ़ 30, 1932)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 664-एफ(3)20-10-दो-अड़तालीस, दिनांक 20 मई, 2010 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्य मंत्री, ऊर्जा -

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 185 (डी) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल, जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2005-2006 (जून 2005 से मार्च, 2006) तथा वर्ष 2006-2007,

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का सप्तम् वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त अवधि हेतु ; तथा

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(i) क्रमांक 547एमपीईआरसी /2010 दिनांक 3 मार्च, 2010 तथा

(ii) क्रमांक 914-म.प्र.विनिआ-2010, दिनांक 13 अप्रैल, 2010

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, देवास नगर के समीप स्थित सौरभ डेयरी द्वारा प्रदूषित अपशिष्ट छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य, मंदसौर जिले के खोड़सा स्थित निजी तालाब से सिंचाई हेतु पानी न छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 17 सन् 2010) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

निर्धारित समय 1 घन्टा

(2) श्री अजय विश्नोई , पशुपालन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 16 सन् 2010) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

5. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि.

प्रदेश में विद्युत की कमी, अघोषित विद्युत कटौती एवं विद्युत दरों में वृद्धि के संबंध में डॉ. गोविन्द सिंह, श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, श्री रामनिवास रावत तथा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 20 जुलाई, 2010